"ॐ" 5000Rs.

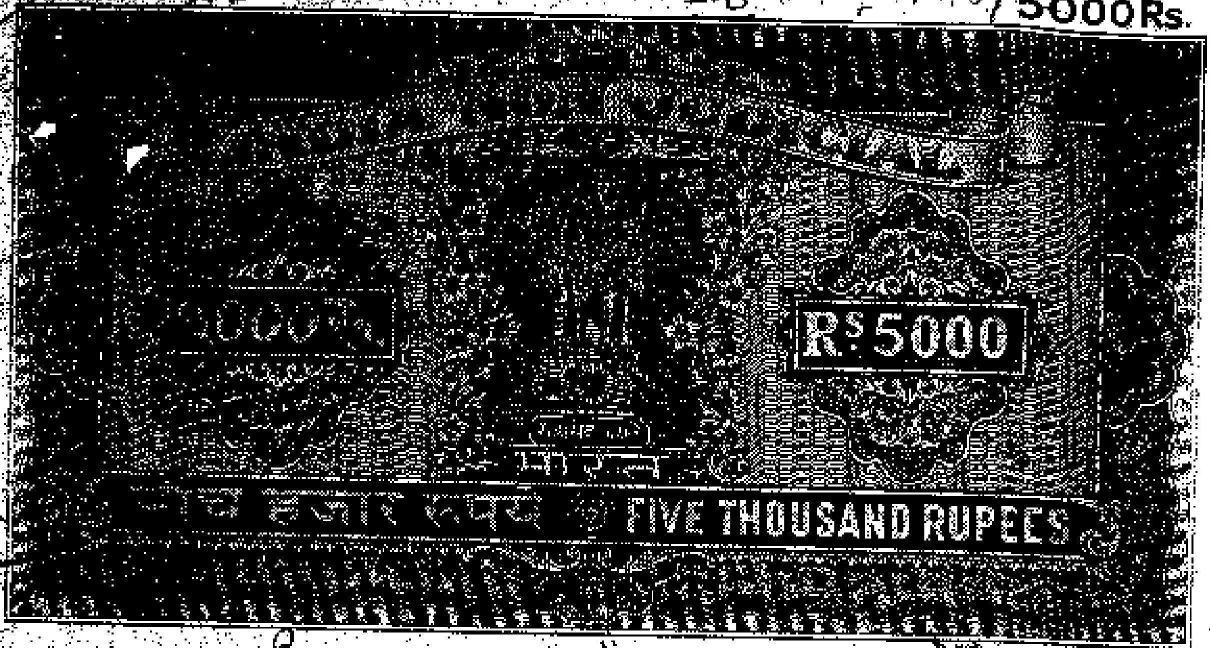

"ॐ"

मैंकि श्रीमती तारादेवी सुराना पत्नी स्व० श्री निर्मलचंद सुराना निवासिन ३०।१५१ चित्तीखाना शहर आगरा का हूँ ।

जो कि एक किता जायदाद मिनजुमला नम्बरी ४२।१३८ वाके कृष्णा कुंज मुहाल गंगा मुस्तकिल मौजा गैलाना लोहामण्डी वार्ड शहर आगरा रकबई ८३८ वर्गगज अर्थात् ७०० ८१ वर्गमीटर पैमायशी पूरब मे १०६ फुट ३ इंच व पश्चिम मे १०६ फुट ३ इंच व उत्तर मे ७१ फुट व दखिन मे ७१ फुट जिसमे दो कोठे पेश बरामदा व एक पूजाघर व एक कुआ तामीर है और जिसमे ४२ वर्गमीटर ढका हुआ और ६५८ ५२ वर्गमीटर खुला हुआ क्षेत्रफल है मय जुमला शै व हुकूक मुताल्लिका निम्न सीमांकित :-

पूरब-जायदाद श्री सुमेरचंद ।
पश्चिम-जायदाद मिनजुमला नम्बरी ४२।१३८ श्री सुनीलचंद एच यू एफ ।
उत्तर-सड़क २० फुट चौड़ी ।
दखिन-रास्ता बारह फुट चौड़ा ।

की मैं तनहा मालिक व काबिज हूँ अन्य कोई साझी व हिस्सेदार किसी भी किसम का नहीं है कि जो माने इंतकाल वगैरा का होवे व नीज जायदाद मजकूर आज तक हर तौर के कर्जे व बार व भार्ज व इंतकाल वगैरा से कतई पाक व साफ है ।

चूंकि जायदाद मजकूर से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं है अतः व परामर्श

[illegible]

Sale deed

108,964/70

[illegible]

257

1,08,964/70

शुल्क [illegible]

251/- 6/-257/- [illegible]

निबंधक [illegible] राज [illegible]

22-12-[illegible]

[illegible]

दिनांक 13-1-86

पृष्ठ संख्या 3-4

[illegible] आयकर प्रमाण पत्र 230A

तारादेवी

13-1-86

1,08,964/70

[illegible] 1,05,964/70 [illegible]

[illegible] स्वीकार किया

[illegible]

ज्वाला प्रसाद

5/26 [illegible]

मोहन कुमार

[illegible]

29/137 राजा मण्डी आगरा [illegible]

4

1,05,964/70

13-1-86

तारादेवी

[illegible]

5000Rs.

५०००रु. भारत Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अपने हितैषियों व पुत्रों के जायदाद को माकूल बाजारी कीमत पर बेचना चाहती हूँ और खरीदारान माकूल कीमत पर बेचना चाहती हूँ और खरीदारान माकूल कीमत अदा कर रहे है जिससे मेरा सरासर फायदा है। मैने आयकर अधिनियम सन् १९६१ की धारा २३०ए(१) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी श्री जगदेव सी वार्ड सर्किल सैकिण्ड आगरा से दिनांक १२-१२-१९८५ को प्राप्त कर लिया है। मैं नगर भूमि अधिकतम सीमारोपण एवं विनियमन अधिनियम सन् १९७६ की धारा ५(३) व १०(४) से प्रतिबंधित नहीं हैं व धारा ४ की सीमा के अतिरिक्त कोई रिक्त भूमि मेरे पास नहीं है तथा उक्त जायदाद किसी भी सीलिंग वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित नहीं की गई है तथा उक्त जायदाद की जमीन नजूल।राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है।

अतः मैने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि इंद्रिय के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर जायदाद मजकूर को साथ तमाम हुकूक व हकूक दाखिली व खारिजी बिला छोड़े किसी वस्तु व अधिकार के बाजारी कीमत से बिलकुल व एवज १,०८,९६४)७० एक लाख आठ हजार नौ सौ चौंसठ रुपया सत्तर पैसे कि आधे जिसके चौवन हजार चार सौ ब्यासी रुपया पैंतीस पैसे होते हैं बदस्त श्री कृष्णकुमार अग्रवाल व श्री पुरासीलाल अग्रवाल व श्री बनवारीलाल अग्रवाल पुत्रगण श्री बाबूलाल अग्रवाल निवासीयान २६/६३७ राजामण्डी शहर आगरा के गुड टायटिल से बैय कतई कीं और बेच दी।

2000Rs.

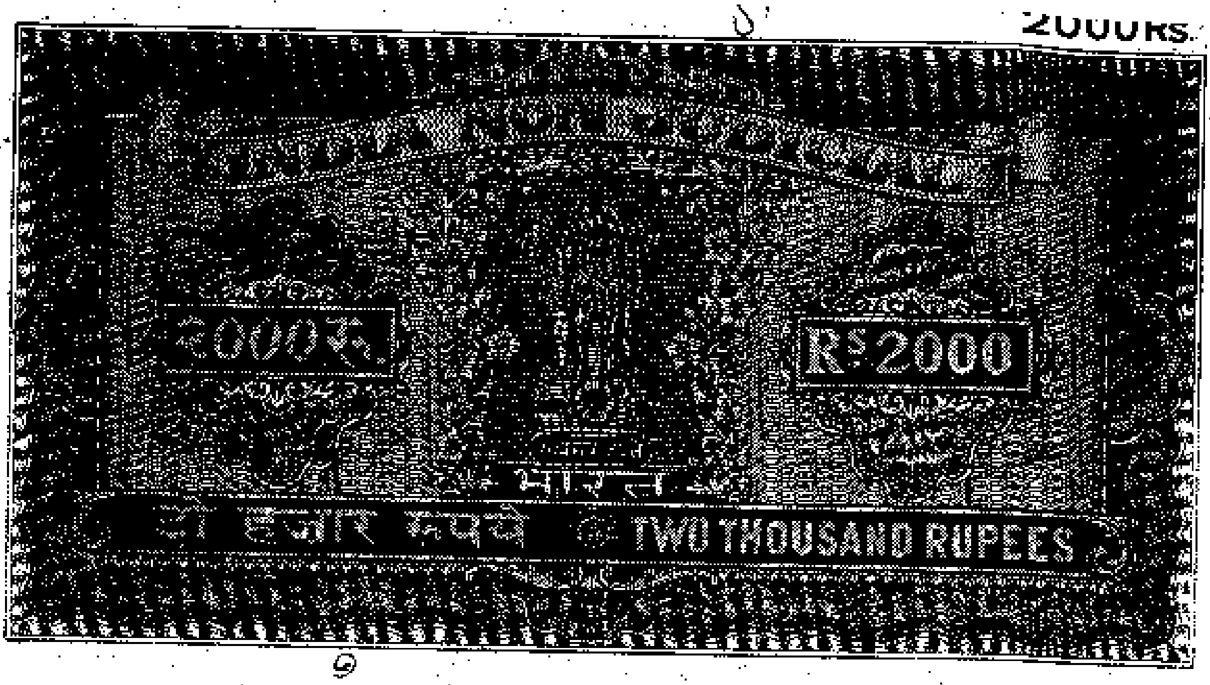

कीमत के रुपया मे से पांच हजार रुपया बजरिये बैंक ड्राफ्ट नम्बर टी टी।९-९७-५५६४२२ स्टेट बैंक ओफ इण्डिया राजामण्डी आगरा दिनांक ३१-७-८५ बनाम श्रीमती तारादेवी के इस बैनामा से पहिले वसूल पा लिये और शेष एक लाख तीन हजार नौ सौ चौसठ रुपया सत्तर पैसे बजरिये बैंकर्स चैक नम्बरी डी ई-५३४१०४ स्टेट बैंक ओफ इण्डिया राजामण्डी आगरा दिनांक १०-९-८६ बनाम तारादेवी सुरा- के वक्त रजिस्टरी बैनामा हाजा के खरीदारान से वसूल पाना करार पाया अब बाबत कीमत कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न कोई ताल्लुक व सरोकार जायदाद मुबैया से रहा और न आयंदा होगा और कब्जा व दखल जायदाद मुबैया पर खरीदारान का करा दिया और खरीदारान को जायदाद मुबैया का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया अब खरीदारान को पूरा अधिकार है कि वह जायदाद मुबैया से बहैसियत मालिकाना चाहे जैसे फायदा उठावे रहन व बैय व तरमीम व तामीर वगैरा जो चाहे सो करे और चाहेजिस प्रकार इस्तेमाल मे लावे और अपने नाम की दाखिल खारिज दफ्तरान मजाज मे कराले मै हर तौर पर रजामंदी दूंगी आज तक के बाकी टैक्स वगैरा मै अदा करूंगी और आज के बाद के खरीदारान अदा करें ।

500Rs.

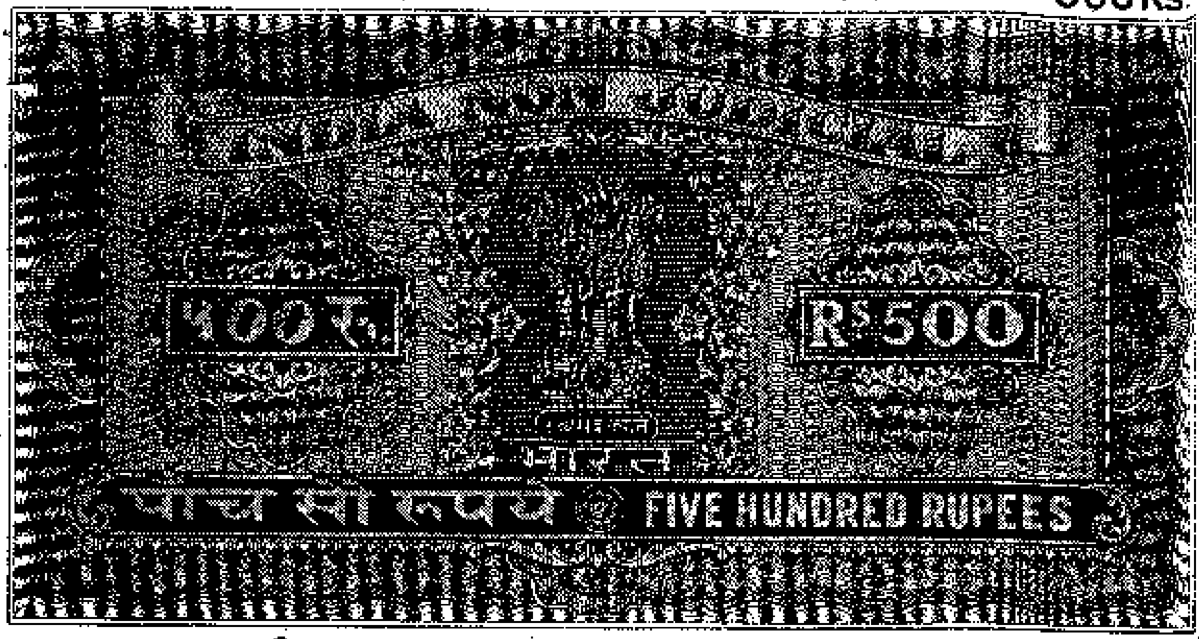

-३-

यदि भविष्य मे कभी कोई दावेदार किसी भी किस्म का बाबत जायदाद मुबैया पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा खरीदार से करे और उसकी वजह से या डिफेक्टिव टायटिल से अथवा व दखल जुज या कुल जायदाद मुबैया खरीदारान से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरेसमन का मय सूद व हर्जा व खरचा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म मिनजानिब व वारिसान मिनजानिब के है और आयंदा होगा और इसमे मुझे व वारिसान मेरो को कभी कुछ उजर न होगा ।

जायदाद नम्बरी ४२।१३८ सन् १९८१-८६ के असेसमेन्ट मे ३००) रुपया साल पर असेस है जिस पर ३६) रुपया साल हाउस टैक्स आयद है जिसका जुज भाग बजरिये बैनामा हाजा बेचा गया है जो लगभग सौ रुपया साल अनुमानित आमदनी किराया का है। बैनामा हाजा का जुमला खरचा खरीदारान ने किया है ।

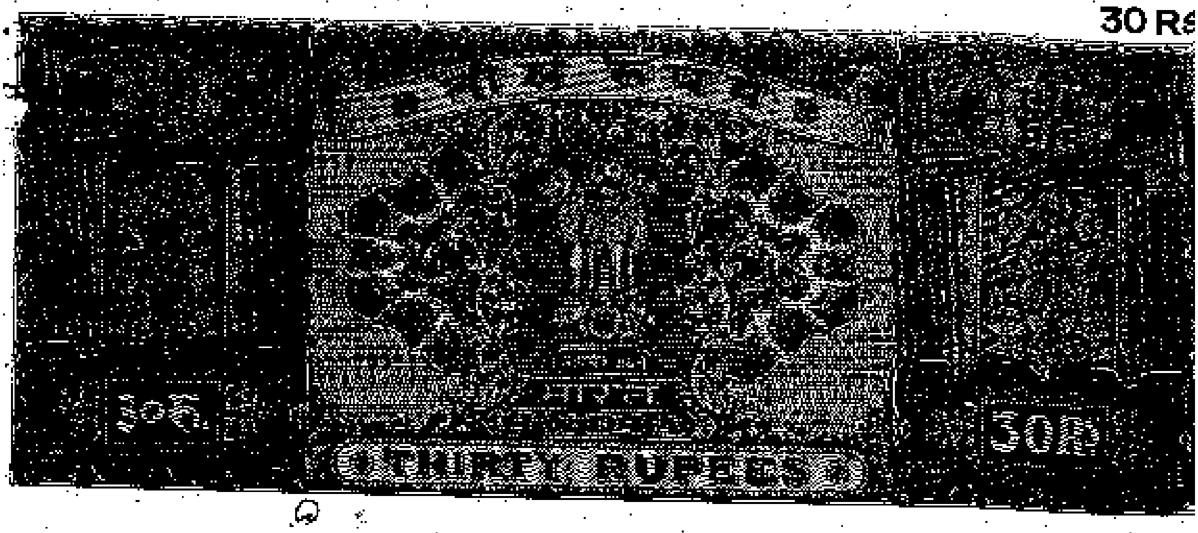

-५-

अतः बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।
नोट-पर्त चार की सतर २ मे (झगड़ा) गन्दा है जो मंजूर है ।
लेख दिनांक :- १३-१-१९८६ ई० ।

[redacted]

-6-

मसौदा - पं० हनुमानप्रसाद कौशल निवासी नूरीदरवाजा आगरा।
टाइपकर्ता० पूरनचन्द शर्मा सिविल कोर्ट आगरा।

प्रलेख लेखक का नाम- हनुमान प्रसाद कौशल
अनुज्ञप्ति संख्या 16 सन् 85-86
स्थान-आगरा, लेखन शुल्क ...... रुपया
प्रलेख लेखक के हस्ताक्षर ......

तारादेवी

[illegible]

— 92453 [illegible]

बही नं० १ जिल्द 7702 के पृष्ठ [illegible]

पर क्र० सं० [illegible] 3342 के पृष्ठ 301/382 पर क्र० 708

पर आज दि० 31.2.96 को रजिस्ट्री की गई

[illegible]

उ० नि०